न्यायालय सहायककलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर –182/11 914 अनवान .... बनाम ....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
24.3.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी को रूक–रूक कर आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी का प्रतिवादीगण/विपक्षीगण से कोई समझोता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अथवा वादी/प्रार्थी अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नही है। अतः वादी/प्रार्थी की और से प्रकरण मे पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नही होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। (बृजेश गुप्ता R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद	

Scanned with ACE Scanner